संख्या 15011/36/2022-जेयूएस (एयू)/ई6889

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

विषय: **न्याय विभाग से संबंधित जुलाई, 2022 माह का मासिक सार।**

न्याय विभाग से संबंधित जुलाई 2022 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

1. **ईकोर्ट मिशन मोड परियोजना फेज-।।**:

- **व्यापक क्षेत्र नेटवर्क:**दिनांक 31-07-2022 तक की स्थिति के अनुसार ,2992 न्यायालय परिसरों में से 2972 न्यायालय परिसरों में 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविथ गति के व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यू ए एन) चालू किए गए।
- **राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी):** दिनांक 04-07-2022 तक, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड प्लेटफॉर्म पर 20.86 करोड़ से अधिक मामलों के संबंधित स्थिति की सूचना और 18.02 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- **वर्चुअल कोर्ट:** 20 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 1.69 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया और 04-07-2022 तक 271 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया।
- **ई ताल**: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन एकत्रीकरण और विश्लेषण लेयर (ई ताल) पोर्टल पर प्रकाशित डाटा के अनुसार, ई न्यायालय ई ट्रांजैक्शन कोर्ट पर आधारित भारत में शीर्ष 5 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक अग्रणी प्रयोजना है।

2. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 30 और 31 जुलाई, 2022 को आयोजित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी एल एस ए) के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन (ऑल इंडिया मीट) के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन।

नालसा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी एल एस ए) का अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 30 और 31 जुलाई, 2022 को विज्ञान भवन में आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं नालसा के प्रभारी संरक्षक श्री एन.वी. रमन, माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजीजू, भारत के न्यायाधीशों, माननीय विधि और न्याय राज्यमंत्री श्री एस पी सिंह बघेल, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एस एल एस ए) के कार्यपालक अध्यक्षों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों (जिला और सत्र न्यायाधीश) की उपस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।

उद्घाटन सत्र में माननीय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में न्याय प्रदायगी प्रणाली की सहायता करने में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि **"मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अंतर्गत, देश की न्यायिक प्रणाली, किस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ई कोर्ट मिशन के अंतर्गत, देश में वर्चुअल न्यायालय प्रारंभ किए जा रहे हैं, और न्यायालयों ने यातायात उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। व्यक्तियों की सुविधा के लिए न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार किया जा रहा है।"**

माननीय प्रधानमंत्री ने 'मुफ्त कानूनी सहायता' पर एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया। इस सम्मेलन में देश के सभी 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के 1000 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित हुए।

3. **टेली लॉः वंचितों तक पहुंच**

31 जुलाई, 2022 तक, 21,30,501 लाभार्थियों को कानूनी सलाह दी गई जिसमें जुलाई 2022 के 1,09,570 लाभार्थी भी शामिल है। नालसा के 703 पैनल वकील प्रि लिटिगेशन सलाह प्रदान करने के लिए टेली लॉ सर्विस से जुड़ चुके हैं। वीएलई/पीएलवी,राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा माह के दौरान 110 जिलों में आयोजित 118 प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र/कैंपों में 2745 व्यक्तियों ने भाग लिया।

4. न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवा) कार्यक्रम

क) माह के दौरान, 100 नए प्रो बोनो वकीलों ने न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया। न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत कुल 4454 वकील (पुरुष-3864, महिला- 588, ट्रांसजेंडर-02) पंजीकृत हो गए हैं।

ख) माह के दौरान, न्याय बंधु पैनल के तहत 67 नए वकीलों ने उच्च न्यायालयों में नामांकन किया जिससे उच्च न्यायालयों में प्रो बोनो वकीलों की कुल संख्या 885 हो गई है।

ग) 49 लॉ स्कूल अपने संबंधित विधि स्कूलों/कॉलेजों में प्रो बोनो क्लब स्कीम के तहत प्रो बोनो क्लब (पीबीसी) चला रहे हैं।

घ) माह के दौरान, प्रो बोनो क्लब स्कीम के भाग के रूप में पारुल विधि संस्थान, पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा द्वारा उनके परिसरों के आसपास के ग्रामों में क्लाइंट काउंसलिंग प्रतियोगिता, आरटीआई ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता और कानूनी सहायता एवं जागरूकता कैंप जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। सविता विधि स्कूल, चेन्नई द्वारा "शिक्षा का अधिकार" विषय पर और सिंबायोसिस लॉ स्कूल नोएडा द्वारा "उपभोक्ताओं के अधिकार" विषय पर कानूनी जागरूकता अभियान आयोजित किए गए।

5. विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम

क) भारतीय राष्ट्रीय विधि स्कूल विश्वविद्यालय (एनएलएसआईयू),बेंगलुरु कर्नाटक ने 01 जुलाई, 2022 को प्रोफेसर वी.एस.मल्लार मेमोरियल लीगल एड प्रतियोगिता, 2022 पर एक वर्चुअल निर्वाचिका सभा आयोजित की। इस निर्वाचिका सभा में 400 प्रतिभागियों सहित देशभर के विविध विधि कॉलेजों के 45 कानूनी सहायता क्लीनिकों की टीमों ने भाग लिया।

ख) सिक्किम राज्य महिला आयोग (एस.एस.सी. डब्ल्यू) ने यांगयांग, साउथ सिक्किम में 168 प्रतिभागियों के लिए दिनांक 22 और 25 जुलाई 2022 को महिला एवं कानून संबंधी मुद्दों पर दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

ग) अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 10 जुलाई, 2022 से 27 जुलाई, 2022 तक पापुम पारे,अपर सियांग और वेस्ट कमिंग जिलों में **"ईच वन टीच टेन"** अभियान आयोजित किया और इसके माध्यम से 207 गांव तक पहुंचा गया।

घ) सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसायटी (सीईसीओ ईडीओसीओएन) ने बारां, राजस्थान में 658 प्रतिभागियों के लिए 18 से 31 जुलाई, 2022 तक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।

6. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण(नालसा) और न्याय विभाग के बीच समझौता ज्ञापन

देश में कानूनी सेवा की एकीकृत प्रदायगी की व्यवस्था करने के लिए, न्याय विभाग ने टेली लॉ और न्याय बंधु (प्रो बोनो) कार्यक्रमों की भारत में व्यापक स्तर पर गुणवत्ता की पहुंच सुनिश्चित करने और 112 आकांक्षी जिलों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित करने के लिए नालसा के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। नालसा द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2022 से 17 जुलाई, 2022 तक जयपुर में आयोजित 18 वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा सम्मेलन के दौरान, न्याय विभाग और नालसा ने माननीय विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजीजू ,भारत के माननीय

मुख्य न्यायाधीश श्री एन.वी.रमन और भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री यू.यू.ललित तथा नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष की उपस्थिति में "कानूनी सेवा की एकीकृत प्रादयगी" पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया।

xxxxxxxxxxxxxx